न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी : सुनिल कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 26/2018

वादी

1. रामकिशोर पुत्र श्री पूसाराम जाति विश्नोई निवासी अजबपुरा तहसील जायल जिला नगौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सीताराम पुत्र रामलाल जाति विश्नोई निवासी अजबपुरा तहसील जायल जिला नगौर
2. मोहनलाल पुत्र श्री पुरूषोत्तम जाति साद निवासी अजबपुरा तहसील जायल जिला नगौर
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद घोषणा खातेदारी व रिकोर्ड दुरस्ती अधीन धारा 53, 88 आर.टी. एक्ट

उपस्थिति –

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका
2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता शिवकुमार पारासर
3. प्रतिवादी संख्या 2 के एकतरफा कार्यवाही

: : निर्णय : :

दिनांकः– 27/9/2022

वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार हैं कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद प्रस्तुत कर [illegible] किया कि वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के सहखातेदारी का खेत खसरा नम्बर 94 [illegible] 43.12 बीघा मौजा अजबपुरा तहसील जायल में आया हुआ है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने [illegible] 2074 में अलग अलग होकर खेत का मौखिक बंटवाड़ा कर लिया जिसके अनुसार वादी [illegible]राम के बंट में मौजा अजबपुरा का खेत खसरा नम्बर 94 [illegible] नक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 सीताराम के बंट में मौजा [illegible]पुरा [illegible] खेत [illegible] नम्बर 94 रकबा 43.12 बीघा में से 4 बीघा नजरी नक्शानु[illegible] [illegible] 2 मोहनलाल के बंट में मौजा अजबपुरा का खेत खसरा न[illegible] [illegible] में से [illegible] बीघा नजरी नक्शानुसार रखा गया है। सामलाती खातेदारी दर्ज होने से क[illegible] प्रकार की [illegible] का सामना करना पड़ रहा है एवं न ही किसी सरकारी योजना का फायदा मिल पा रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:30:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

है इसलिए यह दावा पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। सो यह दावा पेश किया जा रहा है तथा राज्य सरकार ऐसे दावों में आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार जायल को भी पक्षकार बनाया गया है। जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद पत्र न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री शिवकुमार पारासर अधिवक्ता ने वकालत नामा मय ईकबाली जबाव दावा पेश कर वाद से सहमति जताई तथा प्रतिवादी संख्या 2 को जारी सम्मन पर्याप्त तामिल के बावजूद गैर हाजिर रहने से उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर प्राप्त जो केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से इकबाली जवाब पेश होने व प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने एवं प्रतिवादी संख्या 3 केवल परफोर्मा पक्षकार होने से विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने गवाह किशोरराम के शपथ पत्र किया तथा नकल खतौनी संवत् 2070–73 मौजा अजबपुरा के खाता संख्या 79 प्रदर्श–1 व बैचान नामा कि छायाप्रति प्रदर्श–2 कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से इकबाली जवाब, प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने वादपत्र माफिक नजरी नक्शा वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। तहसीलदार जायल को माफिक नजरी नक्शा वादपत्र राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही एवं प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। घोषणा खातेदारी वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त पक्षकार सहखातेदारान के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है वकील वादी ने वाद पत्र के पैरा संख्या 2 के बिन्दु संख्या 'क', 'ख', 'ग', में मुतदाविया खेताय की कुल भूमि 43.12 बीघा भूमि मे से प्रत्येक खातेदार पक्षकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है [illegible] वादीगण व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत इकबाली जवाब [illegible] किया है व वाद प्रतिवादीगण संख्या 1 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा होना स्वीकार किया है

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:30:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 94 की भूमि का माफिक नजरी नक्शानुसार बंट चाहा है। अतः वाद पत्र में वर्णित भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के मध्य हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी रामकिशोर के बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा अजबपुरा का खेत खसरा नम्बर 94 रकबा 43.12 बीघा में से 4 बीघा नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 1 सीताराम के बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा अजबपुरा का खेत खसरा नम्बर 94 रकबा 43.12 बीघा में से 4 बीघा नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 2 मोहनलाल के बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा अजबपुरा का खेत खसरा नम्बर 94 रकबा 43.12 बीघा में से 35.12 बीघा नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है। वादपत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्सा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुनिल कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:30:14 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 27/9/2[illegible] न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनिल कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

डिक्री बमूकद्दमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी – सुनिल कुमार आर0ए0एस0

वादी

राजस्व वाद संख्या 26/2018

1. रामकिशोर पुत्र श्री पूसाराम जाति विश्नोई निवासी अजबपुरा तहसील जायल जिला नगौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सीताराम पुत्र रामलाल जाति विश्नोई निवासी अजबपुरा तहसील जायल जिला नगौर
2. मोहनलाल पुत्र श्री पुरूषोत्तम जाति साद निवासी अजबपुरा तहसील जायल जिला नगौर
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद घोषणा खातेदारी व रिकोर्ड दुरस्ती अधीन धारा 53, 88 आर.टी. एक्ट

पस्थिति –

1. वादी की ओर से श्री बस्तीराम ढाका एडवोकेट
2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता शिवकुमार पारासर
3. प्रतिवादी संख्या 2 के एकतरफा कार्यवाही

: डिक्री आदेश :

दि. 27/9/2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री बस्तीराम का व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री शिवकुमार पारासर एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व ारी दी जाती हैं कि :–

वादी रामकिशोर के बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा अजबपुरा का खेत खसरा नम्बर 94 रकबा 43.12 बीघा में से 4 बीघा नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 1 सीताराम के बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा अजबपुरा का खेत खसरा नम्बर 94 रकबा 43.12 बीघा में से 4 बीघा नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 2 मोहनलाल के बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा अजबपुरा का खेत खसरा नम्बर 94 रकबा 43.12 बीघा में से 35.12 बीघा नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाता है। वादपत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्सा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:30:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

रामकिशोर बनाम सिताराम वगैरह
जीसीएमएस नम्बर 2018/00044
राजस्व वाद संख्या 26/2018

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

आज की तारीख लीज – मुबलिक – बाबत् – खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर – फीस सदी सालाना ख,तारीख वसूल योगो तक – को अदा करें। बसीखा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 27/9/22 को जारी किया गया

(सुनिल कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

	रूपये	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
म्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
म्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
म्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
नताना वकील			खर्चा गवाहन		
र्चा गवाहन			फीस कमीष्नर		
स कमीष्नर			बाबत् इजराय हुक्मीजान		
त इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
फर्रिक					

टि :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(सुनिल कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:30:14 IST
Reason: SelfAttested